<u>न्यायालय अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, आमला, जिला बैतूल</u> (पीठासीन अधिकारी – श्रीमती मीना शाह)

<u>व्य.वाद. क्रमांक:- 86ए / 16</u> संस्थापन दिनांक:--08 / 12 / 16 फाईलिंग नं. 4003642016

संतोष पिता कोमलचंद जैन उम्र 75 वर्ष, निवासी बोरदेही, तहसील आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

<u> वादी</u>

वि रू द्व

- 1. श्रीमती सुधा पति स्व. सुमंत कुमार जैन, उम्र 52 वर्ष
- 2. अंकुश पिता स्व. सुमंत कुमार जैन, उम्र 26 वर्ष
- 3. कु. पूजा पिता स्व. सुमंत कुमार जैन, उम्र 22 वर्ष क. 1 से 3 निवासी सुकरी, जुन्नारदेव, तहसील जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.)
- 4. श्रीमती यशोदा पति सुधाकर वाईकर, उम्र 46 वर्ष निवासी हरन्या, तहसील आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)
- 5. मध्यप्रदेश राज्य, द्वारा कलेक्टर जिला बैतूल (म.प्र.)

.....<u>प्रतिवादीगण</u>

<u> -: (आदेश) :-</u>

(आज दिनांक 27.04.2017 को पारित)

- 1 इस आदेश द्वारा वादी की ओर प्रस्तुत अंतरिम आवेदन क्रमांक 01 अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 एवं 2 सहपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता का निराकरण किया जा रहा है।
- 2 वादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादी क. 01 के पित आपस में भाई हैं तथा उनके पिता कोमलचंद जैन जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनकी दो पत्नीयां थी। कोमलचंद की पत्नी केसरबाई से वादी संतोष का जन्म हुआ तथा मनोरमाबाई से प्रतिवादी क. 01 के पित सुमंत कुमार जैन का जन्म हुआ। वादी के पिता श्री कोमलचंद जैन के द्वारा दिनांक 09.09.1960 को ग्राम नजरपुर स्थित भूमि ख.नं. 153 रकबा 16.93 एकड़

का क्रय किया गया तथा रनेह वश वादी संतोष एवं प्रतिवादी क. 01 के पति सुमंतकुमार का नाम विकय पत्र में लिखाया गया परंतु प्रतिफल की संपूर्ण राशि वादी की पिता कोमलचंद ने एवं वादी ने दिया था। राजस्व अभिलेखों में विवादित भूमि पर वादी संतोष एवं सुमंत कुमार का नाम दर्ज रहा परंतु भौतिक आधिपत्य मात्र वादी का ही रहा। चूंकि राजस्व अभिलेखों में सुमंतकुमार का नाम दर्ज था। अतः शासकीय सुविधा प्राप्त करने के उददेश्य से ख.नं. 153 में से करीब 5 एकड़ भूमि पृथक से सुमंत कुमार के नाम पर दर्ज कर दी गयी जिसका ख.नं. 153/2 रकबा 2.003 हे. हुआ। खसरा नंबर 153 का कभी भी वादी एवं उसके भाई सुमंत कुमार के मध्य बंटवारा नहीं हुआ है मात्र राजस्व अभिलेख में अलग-अलग नाम दर्ज है। वादी एवं सुमंत कुमार जैन के मध्य में यह तय हुआ था कि यदि कोई अपनी भूमि का विक्रय करता है तो बाहरी व्यक्ति को विकय न करते हुए प्राथमिकता अपने भाई को देगा। वादी के भाई सुमंत कुमार की मृत्यु उपरांत ख.नं. 153/2 पर उसके वारसान प्रतिवादी क. 01 से 03 का नाम दर्ज हुआ तथा प्रतिवादी क. 01 से 03 ने राजस्व अभिलेख में विवादित भूमि ख.नं. 153/2 पर नाम दर्ज होने के आधार पर दिनांक 19.02. 2015 को प्रतिवादी क. 04 के पक्ष में विकय पत्र निष्पादित कर दिया जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं था। चूंकि विवादित भूमि का कभी भी बंटवारा नहीं हुआ है तथा वादी का प्रारंभ से उस पर कब्जा रहा है। प्रतिवादी क. 04 क्रय की गयी भूमि पर नाम दर्ज होने के आधार पर वादी के आधिपत्य में हस्तक्षेप करने का प्रयास कर रहा है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का सिद्धांत वादी के पक्ष में होने से प्रतिवादीगण को वादी के आधिपत्य में हस्तक्षेप करने से निषेधित किया जावे एवं प्रतिवादी क. 04 को विवादित भूमि का विक्रय या अन्यथा अंतरण से निषेधित किया जाये।

3 प्रतिवादी क. 01 से 04 की ओर से उपर्युक्त आवेदन का संयुक्त रूप से लिखित में जबाव पेश कर उसमें यह लेख किया गया है कि ख. नं. 153 स्व. श्री कोमलचंद जैन के द्वारा क्रय की गयी थी। वादी के द्वारा उसमें कोई भी प्रतिफल राशि अदा नहीं की गयी थी। स्व. श्री कोमलचंद जैन ने अपने जीवनकाल में ही ख.नं. 153 का बंटवारा स्वयं एवं अपने पुत्रों संतोष एवं सुमंत कुमार के मध्य कर दिया था जिसके परिणामस्वरूप ख.नं. 153/1 रकबा 2.003 हे. वादी संतोष को तथा ख.नं. 153/2 रकबा 2.003 स्व. सुमंत कुमार को तथा ख.नं. 153/3 रकबा 2.845 हे. स्व. श्री कोमलचंद जैन को प्राप्त हुई थी और इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में नाम दर्ज हुआ था कब्जा बना रहा। दिनांक 22.07.2002 को स्व. कोमलचंद जैन की मृत्यु होने पर उनके हिस्से की ख.नं. 153/3 वादी संतोष एवं प्रतिवादी क. 01 के पित सुमंत कुमार के नाम पर आयी और संयुक्त रूप से वर्तमान तक चली आ रही है। सुमंत कुमार की मृत्यु उपरांत ख.नं. 153/2 पर प्रतिवादी क. 01 से 03 का नाम दर्ज हुआ था उनका भौतिक

आधिपत्य बना रहा। प्रतिवादी क. 01 के द्वारा अपने स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि ख.नं. 153/2 रकबा 2.003 हे. भूमि का विक्रय पत्र दिनांक 19.02.2015 को प्रतिवादी क. 04 के पक्ष में किया गया है जिसका उसे विक्रय करने का पूर्ण अधिकार था तथा प्रतिवादी क. 04 को विक्रय की गयी विवादित भूमि का कब्जा भी दे दिया गया है। विवादित भूमि ख.नं. 153/2 प्रतिवादी क. 01 से 03 के स्वत्व एवं आधिपत्य की है जिस पर वादी का कोई भी अधिकार नहीं है। अतः वादी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तनीय क्षति न होने से आवेदन सव्यय निरस्त किया जावे।

- 4 आवेदन के निराकरण हेतु न्यायालय में समक्ष निम्न विचारणीय बिन्दु है :--
 - 1. क्या वादी के पक्ष प्रथम दृष्टया मामला है ?
 - 2. क्या सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में है ?
 - 3. क्या आवेदन निरस्त किए जाने से वादी को अपूर्तनीय क्षति होगी ?

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के आधार विचारणीय प्रश्न क. 1 का निराकरण

- 5 वादी ने अपने आवेदन के माध्यम से ख.नं. 153 को उसके पिता स्व. कोमलचंद की स्वअर्जित संपत्ति होना बताते हुए उसका वर्तमान तक विभाजन न होने का अभिवचन किया है तथा वादी ने आवेदन में यह भी लेख किया है कि मात्र शासकीय सुविधाओं को प्राप्त करने की दृष्टि से विवादित भूमि ख.नं. 153/2 पर प्रतिवादी क. 01 के पित एवं उसके भाई सुमंत कुमार जैन का नाम दर्ज करा दिया गया था। जबिक संपूर्ण ख.नं. 153 पर उसके द्वारा ही काश्त की जाती रही है।
- वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज जो कि ख.नं. 153 के खसरा पांचसाला, किश्तबंदी खतौनी एवं नक्शा है जिनके अवलोकन से ख.नं. 153 के बंटा नंबर 153/1, 153/2, 153/3 होकर 153/1 वादी संतोष के नाम पर, 153/2 सुमंत कुमार के नाम पर तथा 153/3 कोमलचंद के नाम वर्ष 1989—90 से दर्ज होना प्रकट हो रहे हैं। साथ ही वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से वर्ष 1990—91 से ख.नं. 153/2 पर सुमंतकुमार जैन का नाम दर्ज होना एवं उसकी मृत्यु उपरांत उसके वारसान प्रतिवादी क. 01 से 03 का नाम वर्ष 2011 से दर्ज होना प्रकट हो रहा है। इस प्रकार स्पष्टतः स्व. कोमलचंद जैन के जीवनकाल में ख.नं. 153 के बंटे नंबर होकर वादी संतोष, सुमंतकुमार जैन एवं कोमलचंद जैन के नाम पर दर्ज होना प्रकट होते हैं। अतः प्रथम दृष्टया ख.नं. 153/2 रकबा 2. 003 सुमंतकुमार के स्वत्व एवं आधिपत्य की तथा उसकी मृत्यु उपरांत प्रतिवादी

क. 01 से 03 के स्वत्व एवं आधिपत्य की होना प्रकट होती है।

वादी का यह कहना है कि मूल ख.नं. 153 का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है तथा संपूर्ण भूमि एकजाई है तथा संपूर्ण भूमि पर मात्र उसका आधिपत्य है तथा अपने आधिपत्य के समर्थन में गवाह राजेंद्र, अशोक, केवल, अनिल एवं गजानंद का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें से गवाह गजानंद उसका बटायीदार है। जबिक प्रतिवादी क. 01 से 04 ने विवादित भूमि ख.नं. 153/2 पर अपना आधिपत्य बताया है तथा आधिपत्य के समर्थन में गवाह नब्बाबाई, भंगी एवं कन्नू का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें से गवाह भंगी को प्रतिवादी क. 04 ने अपना बटायीदार होना बताया है एवं कन्नू गांव का कोटवार है। इस प्रकार उभयपक्ष के द्वारा विवादित भूमि पर अपना—अपना आधिपत्य बताते हुए समर्थन में अपने बटायीदारों के शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये हैं। दोनों पक्ष विवादित भूमि पर अपना अपना आधिपत्य बता रहे हैं। उनके द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र विरोधाभासी है जिससे कि इस स्तर पर आधिपत्य के संबंध में शपथ पत्रों से कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।

8 अभिलेख पर प्रस्तुत दस्तावेज खसरा पांचसाला वर्ष 1984—85 के अवलोकन से यह प्रकट हो रहा है कि संशोधन प्रविष्टि वाले कॉलम में मूल ख. नं. 153 के बटे नंबर 153/1, 153/2, 153/3 किये गये हैं तथा सरल क. 105 आदेश दिनांक 09.11.1986 का उल्लेख है जिससे प्रथम दृष्ट्या बिना किसी आधार के ख.नं. 153/2 में प्रतिवादी क. 01 के पित सुमंत का नाम लेख किया जाना प्रकट नहीं हो रहा है। इस प्रकार निरंतर वर्ष 1984—85 से प्रतिवादी क. 01 के पित सुमंत कुमार का नाम राजस्व अभिलेख खसरा में विवादित भूमि ख.नं. 153/2 पर दर्ज होने से उसका आधिपत्य दर्शित होता है। जहां तक वादी का यह कहना है कि विधिवत विभाजन नहीं हुआ है तो यह साक्ष्य की विषयवस्तु है जिसका निराकरण विधिवत साक्ष्य उपरांत किया जा सकता है परंतु मूल ख.नं. 153 वादी एवं प्रतिवादी क. 01 के पित सुमंत के पिता स्व. कोमलचंद जैन की है। विवादित भूमि मूल ख.नं. 153 पर विकेता के रूप में वादी का भी नाम लेख है। अतः अग्रक्याधिकार की घोषणा के संबंध में प्रथम दृष्ट्या मामला वादी के पक्ष में पाया जाता है।

विचारणीय प्रश्न क. 2 एवं 3 का निराकरण

9 विवादित भूमि ख.नं. 153/2 रकबा 2.003 के संबंध में प्रतिवादी क. 01 द्वारा प्रतिवादी क. 04 के पक्ष में निष्पादित विकय पत्र दिनांक 19.02. 2015 रिजस्टर्ड है जिसके प्रथम दृष्ट्या सही होने की उपधारणा की जावेगी। विकय पत्र में विकय की गयी भूमि की स्पष्ट चौहद्दी भी लेख है तथा उसमें प्रतिवादी क. 04 को कब्जा दिया जाना भी लेख है। विवादित भूमि ख.नं. 153/2 पर वर्ष 1990—91 से निरंतर प्रतिवादी क. 01 के पित सुमंत कुमार का नाम दर्ज होना एवं उसकी मृत्यु उपरांत प्रतिवादीगण का नाम दर्ज होना राजस्व दस्तावेजों से प्रकट होता है। प्रतिवादी क. 04 का नाम ख.नं. 153/2 क्य किये जाने के उपरांत राजस्व दस्तावेज खसरा वर्ष 2016—17 के अवलोकन से प्रकट होता है। अतः यदि प्रतिवादी क. 04 को विवादित भूमि ख.नं. 153/2 के उपभोग से वंचित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है परंतु यदि प्रतिवादी क. 04 को अंतरण से निषेधित नहीं किया जाता है और यदि वाद लंबन के दौरान विवादित भूमि का विक्रय प्रतिवादी क. 04 के द्वारा किया जाता है तो निश्चित ही वादी को केता को भी पक्षकार बनाना पड़ेगा जिससे वाद बाहुल्यता से इनकार नहीं किया जा सकता है। अतः वादी को निश्चित ही इससे असुविधा होगी और उसे होने वाली क्षति प्रतिवादी की तुलना में अत्यधिक होगी। फलतः वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है।

10 वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रतिवादी क. 04 को निषेधित किया जाता है कि वह प्रकरण के निराकरण तक विवादित भूमि ख.नं. 153/2 रकबा 2.003 हे. का विक्रय या अन्यथा अंतरण स्वयं अथवा अन्य किसी के माध्यम से न करे।

11 आवेदन का निराकरण का प्रकरण के गुण—दोष के आधार पर पारित निर्णय पर कोई प्रभाव नहीं होगा। आवेदन के निराकरण का व्यय प्रकरण के परिणाम पर निर्भर करेगा।

आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित तथा दिनांकित कर पारित । मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह) अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2, आमला, जिला बैतूल (श्रीमती मीना शाह) अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2, आमला, जिला बैतूल